F. No. 9-5/2019-FES-ES
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
(Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare)
Directorate of Economics and Statistics
(FE Division)

Room No. 450, Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 10 Sept, 2020

Shri Ram Kumar,
Sector No. 30/FF,
Phase, Mohali,
Punjab:-160017.

Subject:-Application under Right to Information Act, 2005 received vide Registration No. **DOEAS/R/X/20/00001 dated 21/08/2020.**

Dear Sir,

I am directed to refer to your RTI letter dated 21.08.2020 seeking information under RTI Act 2005 in connection with reply given on 06.12.2019 in respect of Rajya Sabha Starred Question No. 198 raised by Shri K.K.Ragesh, M.P. In this regard, copy of the reply of the above mentioned question is enclosed. Copy of the supplementary questions and reply may be accessed at https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Questions/Ret.aspx?n=1#*mal (copy enclosed).

The Union Budget for 2018-19 had announced the pre-determined principle to keep MSPs at levels of one and half times of the cost of production. Recently, Government had increased the MSPs for all mandated Kharif crops for 2020-21 season in line with the principle of providing 1.5 times return over all India weighted average cost of production. Press release of the Government's decision on MSPs for kharif crops of marketing season 2020-21 may be accessed at https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1628348.

The objective of the Government's price policy is to ensure remunerative prices to farmers by offering to procure their produce at MSP. However, farmers are free to sell their produce to the Government procurement agencies at MSP or in the open market whichever is advantageous to them.

Encl: As above.

Yours faithfully
10/9/2020
(Swati Singla)
Asstt. Economic Adviser

Copy to:

1. Shri Rameshwar Singh, CPIO, F wing Room No 119, Shastri Bhawan, New Delhi.

2. RTI Cell, DAC&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

Q. No. 198

SHRI K.K. RAGESH: Sir, they have promised to implement the Swaminathan Commission recommendations. The Swaminathan Commission had suggested the MSP formula as 50 per cent of the profit over and above the weighted cost of production, which includes farmer's and family's unpaid labour, which is popularly called as 'C2+50%'. But CACP...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just put your question straightaway.

SHRI K.K. RAGESH: Yes, Sir, I am coming to the question. CACP had calculated the cost of production as A2+FL where farmer's and family's unpaid labour is not calculated. Hence, MSP is not calculated accordingly.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ragesh*ji*, put your question.

SHRI K.K. RAGESH: My question is: Will the Government consider implementing the Swaminathan Commission recommendations so far as the MSP calculations are concerned?

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने MSP की गणना के बारे में बताया और CACP के फॉर्मूले का उल्लेख किया है कि उसमें farm labour को गिनती में नहीं लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि अभी जो CACP की गणना हो रही है, वह स्वामीनाथन कमेटी द्वारा बताए गए फॉर्मूले के आधार पर ही, farmer's labour की गणना करने के बाद ही की जाती है। उसका समावेश उसमें कर लिया गया है।

SHRI K.K. RAGESH: We are witnessing the sky-rocketing prices of essential commodities. These commodities are being produced by our farmers. Onions are sold by the farmers at Rs. 8 per kg.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I am putting the question. When we go to the market, we have to pay Rs. 120 per kg. for it. But the farmers are selling it at Rs.8. My question is: Will the Government consider enacting a legislation that allows the farmers to decide the prices of their produce?

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बेसिक सवाल पूछा था वह था कि धान, गन्ना, मक्का और कपास जैसी हमारी खेती की जो पैदावारें हैं, उनमें कमी आने की वजह से क्या उनके विस्तार में कमी आ रही है या उस प्रकार की खेती करने से किसान कतरा रहे हैं अथवा खेती कम कर रहे हैं। अब माननीय सदस्य ओनियन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और उसके माध्यम से वे यह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई legislation हम करेंगे, जिससे कि किसान स्वयं अपनी खेती की पैदावार की कीमत निर्धारण करने का काम कर सकें?

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कहने के लिए यह बहुत ही अच्छी चीज है और popularly बात करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसान यदि गिनती भी सीख जाएं, तो वे खेती करना ही बन्द कर देंगे। चूंकि किसान गिनती नहीं करता है, इसीलिए वह religiously खेती करता है। वह परिश्रम करना जानता है, उनका यह काम नहीं है।

महोदय, हमारा दायित्व काम करना है और उसे उचित मूल्य मिले, इसके लिए जो भी legislation हम करना चाहते हैं, वह करें और उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आजादी के बाद, पहली बार नीतिगत निर्णय लिया गया है कि MSP को 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ ही घोषित किया जाएगा। ऐसा निर्णय करने के बावजूद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे सुधार की आवश्यकता है, तो यह बात हम व्यावहारिक तौर से कर सकते हैं और इस पर यह सदन चर्चा भी कर सकता है। मगर किसान अपनी पैदावार की कीमत स्वयं तय करेगा, मुझे लगता है कि इस पर फिर से सोचने की जरूरत है।

प्रो. राम गोपाल यादव: माननीय उपसभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी हमारे पड़ोसी जिले के ही हैं। MSP निर्धारित करना आपके हाथ में है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस MSP के आधार पर किसान को उसकी उपज का मूल्य मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इटावा चले जाइए, वहां देखिए वहां किसान 1,200 रुपए प्रति क्विंटल में अपनी धान को बेचने के लिए मजबूर है, जबकि धान की MSP के अनुसार उसका धान 1,800 रुपए प्रति क्विंटल बिकना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब MSP के आधार पर किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसे पूरा मूल्य दिलाने का काम कैसे करेंगे? आपने बहुत अच्छा काम किया कि स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के अनुसार MSP निर्धारित कर दी। यह बात अलग है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि CAPC ने जो MSP...

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल जी, कृपया सवाल पूछिए।

प्रो. राम गोपाल यादव (क्रमागत) : आप इसके लिए क्या करेंगे और किसानों को कैसे पैसा दिलवाएंगे? मेरा निवेदन है कि आप यह कहकर मत बचिएगा कि यह राज्य का विषय है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, प्रो. राम गोपाल यादव जी।

श्री परशोत्तम रुपाला : माननीय उपसभापति महोदय, मैं फिर से बड़ी विनम्रता से जो विषय प्रो. राम गोपाल यादव जी जैसे हमारे सीनियर साथी ने उठाया है, उन्हें खुले मन से यह बात कहना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि यह विषय राज्य का ही है, यद्यपि आपने पहले से ही यह पाबंदी लगा दी है कि आप अपने जवाब में यह मत कहिएगा कि यह राज्य सरकार का विषय है। महोदय, कीमत तय करने पर खरीद की जो यंत्रणा करनी है, वह राज्य सरकार को ही करनी है। राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियाँ खरीद का यह काम कर रही हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि खरीद करना, माल लेना, माल की तौल करना और बाद में किसान को पैसा देना, इससे आपके काम में जो व्यवधान आ रहा है, मैं उस पर आपसे सहमत हूं। इंटीरियर एरिया में यह आज भी कहीं-कहीं हो रहा है, मैं इस बात को नकारता नहीं हूं, मगर डीबीटी के माध्यम से किसान के account में जो पैसा सीधा भेजना है, हमें उसमें भी बाधा आ रही है। यह राज्य सरकार के मशविरे पर ही होना है, क्योंकि किसान की जो भी सारी चीज़ें हैं, जो सारा रिकॉर्ड है, वह सारा राज्य के पास है और यह उसका हक है, अधिकार भी है, अतः इसी के चलते यह नहीं हो सकता है। मैं फिर भी आपके संज्ञान में लाने के लिए एक फिगर बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार क्या कोशिश कर रही है, हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी की जो नीयत है, हम उसका कैसे कार्यान्वयन कर रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा।

महोदय, 2009 से 2014 तक खरीद-फरोख्त की यह जो कुल रकम थी, वह 3,104 करोड़ रुपये की रकम थी। यह पूरे पाँच साल की रकम थी। 2014-2019 के बीच भारत सरकार ने जो रुपये उसमें खर्च किये हैं, वे 53,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सरकार 3,104 करोड़ रुपये और 53,000 करोड़ रुपये देने की कोशिश कर रही है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर यह काम करने की कोशिश करनी चाहिए। महोदय, सरकार किसी भी दल की हो, केंद्र और राज्य को मिलकर किसान के हित में उन्हें रकम देने का प्रयास करना चाहिए।

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, I have a straight question. This question is about the decline in net returns in agriculture. Now, the point is, according to The Economic Times, agricultural share in the national output had declined from 50 per cent in 1950 to 17 per cent in 2017-18. The hon. Minister referred to the DISHA. But, I want to say that according to a report in *downtoearth.org*, 10 per cent of the poor… (Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question, Mr. Tulsi.

SHRI K.T.S. TULSI: Seventy six percent farmers want to give up farming. Is that not proof enough of decline in net returns?

श्री परशोत्तम रुपाला : उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि किसान खेती करने से दूर भाग रहा है। वे उसमें से फिगर भी बता रहे हैं कि 10 प्रतिशत किसानों ने खेती छोड़ दी है।

श्री के.टी.एस. तुलसी : 75 प्रतिशत और किसान खेती छोड़ना चाहते हैं।

श्री परशोत्तम रुपाला : छोड़ना चाहते हैं, वह आपका मत होगा, लेकिन वे नहीं छोड़ेंगे। मैं यह भी कहूंगा कि वे 10 प्रतिशत किसान, जिन्होंने खेती का काम छोड़ा है, वे भी फिर से खेती में लग जाएं, हम उस प्रकार की योजनाएं लेकर चल रहे हैं। तुलसी साहब, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि आपने अभी जो यह बताया है कि हमारा 17 प्रतिशत तक का हिस्सा रह गया है - शायद एक बार इस सदन में मैंने ही यह बताया था कि इसकी 50-51 प्रतिशत की फिगर है। उस समय खेती का प्रतिशत 50 प्रतिशत था और हमारी आबादी 50 करोड़ थी। खेती का हिस्सा 50 प्रतिशत था, फिर भी देश की जनता के खाने के लिए इस देश में पूर्णतः खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। आज हमारा यह प्रतिशत 70 प्रतिशत है, हमारी आबादी 130 करोड़ है, फिर भी यह देश खाद्यान्न में सरप्लस है, इसलिए इसका इस प्रकार से मूल्यांकन करना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम आगे के लिए किसानों के अपनी जमीन पर टिके रहने की योजना बना रहे हैं।

SHRI M. SHANMUGAM: Mr. Deputy Chairman, Sir, the Government of India is fixing the rate of sugar at Rs. 32 per k.g., but, the cost of production in Tamil Nadu varies from Rs. 34 to Rs. 38. Because of this reason, most of the mills have been closed down and the production of sugarcane has come down from 160 lakh tonns to 60 lakh tonns.

SHRI M. SHANMUGAM (contd.): I would like to know whether the Central Government is going to subsidise the difference or not. Are there any measures to improve that?

श्री परशोत्तम रुपाला : सर, माननीय सदस्य की यह चिंता सही है कि sugarcane के किसानों को अपने उत्पाद का सही दाम नहीं मिलने की वजह से वे परेशानी में हैं और उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। भारत सरकार की ओर से MSP या FRP निर्धारित करते समय भारत सरकार फायदेमंद कीमत का निर्धारण करती है और राज्य सरकारें भी उसमें अपनी SAP लगाती हैं। इसलिए सीधी तरह से उनकी मदद करने की कोई योजना नहीं है, मगर Food Department की ओर से चीनी मिलों को जरूरत पड़ने पर ब्याज सहायता द्वारा मदद करने की भी एक योजना है, buffer stock पर उसको सहायता देने की एक योजना है, ethanol का उत्पादन करने के लिए भी इसमें एक योजना है। ऐसी तीन-चार योजनाओं के मद्देनजर भारत सरकार की चीनी मिलों के मालिकों के जरिए गन्ना किसानों की मदद करने की कोशिश रहती है। सर, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस साल किसानों का जो 92 percentage बकाया था, उसका भुगतान 2018-19 के साल में करवा दिया गया है।